न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम० पी० 25/2019 धारा–145 द०प्र०सं०

समल अहीर.....प्रथम पक्ष

बनाम

घासी महतो.....द्वितीय पक्ष

आदेश

13.10.2020.

प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में दखल–कब्जा को लेकर शांति भंग होने की संभांवना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा–145 के तहत द्वितीय पक्षों के विरूद्व कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–लोटेहातु थाना–बुण्डू थाना संख्या–60 .

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
27	651	09 डी०	उ0–नीज आवेदक द0–नीज आवेदक पू0–रामड़ा अहीर वगै० प0–राजेन गोझु
	652	30 डी०	उ0–नीज आवेदक द0–नीज आवेदक पू0–रामड़ा अहीर वगै० प0–राजेन गोझु
	653	03 डी०	उ0–नीज आवेदक द0–नीज आवेदक पू0–रामड़ा अहीर वगै० प0–राजेन गोझु

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने जबाब में निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि वर्णित भूमि प्रथम पक्ष की खतियानी जमीन है। जो आर. एस. खतियान में रोधी महतो वो शिवा चन्द्र महतो पिता–ठाकुर महतो वो लोहरा महतो वल्द दुखु महतो के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत रोधी महतो के पुत्र घासी महतो हुए। घासी महतो के पुत्र समल महतो (अहीर) हुए, जो इस वाद में प्रथम पक्षकार है। खतियानी रैयत शिवा चन्द्र महतो की नावल्द मृत हो गया है। खतियानी रैयत दुखु महतो के पुत्र लोहरा महतो हुए।

2. यह है कि प्रथम पक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा विवादित जमीन से संबंधित किसी प्रकार का बिकी/दान/ एकरारनामा नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष जो भी दावा कर रहे है व सरासर बनावटी एवं गलत है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का शांति पूर्वक दखल–कब्जा है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए द्वितीय पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए प्रथम पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

13.10.2020.

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने जबाब में निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन आर. एस. खतियान में रोधी महतो वो शिवा चन्द्र महतो पिता–ठाकुर महतो वो लोहरा महतो पिता–दुखु महतो के नाम से दर्ज है।

2. यह है कि विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष खरीदगी संपति है। उपरोक्त जायदाद को प्रथम पक्ष के पिता स्व० घासिया अहीर से द्वितीय पक्ष के पिता फागु महतो ने नियमानुसार रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त किये हैं। प्राप्त करने के पश्चात दखलकार हुए एवं अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज कराकर लगातार मालगुजारी देते आ रहे है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का शांति पूर्वक दखल–कब्जा है। वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर दावा कर रहे है। द्वितीय पक्ष विवादित जमीन विकय पत्र से प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रहे है। प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के कागजातों पर आपति जताया गया है। कागजातों की पुष्टि हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है। अतः वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

13/10

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

13/10

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)